


विधि बैंक प्रकरण संख्या 04/2022(GCMS : 2022/8) राजस्थान मरुधरा
ग्रामीण बैंक, शाखा सादुलशहर श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी / शाखा
प्रबन्धक श्री एम.एल. इन्दालिया बनाम 1. मैसर्स मनदीप ट्रेडिंग कंपनी जरिये
मनदीप पुत्र जगतार सिंह निवासी वार्ड नं 01, 26 पीटीपी हथियावाला तहसील
सादुलशहर श्रीगंगानगर (राज.) 2. जगतार सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी 26
पीटीपी हथियावाला तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर

09.05.2022



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा
उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली
का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत किया
है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स मनदीप ट्रेडिंग कंपनी, जगतार सिंह को
ऋण सुविधा के रूप में 08.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख मात्र)
का ऋण दिनांक 12.07.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में
अप्रार्थी जगतार सिंह ने अपनी संपत्ति वार्ड नं. 07 (क्षेत्रफल 24' गुणा 54'),
सेक्टर नं. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी।
उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित
रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता
दिनांक 28.08.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर
दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.10.2018 को 8,38,855/-
रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया
है जिस पर अप्रार्थी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक
08.10.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।
धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रार के डाक
से दिनांक 08.10.2018 को भिजवाये गये है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी जगतार सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति वार्ड नं. 07 (क्षेत्रफल 24' गुणा 54'), सेक्टर नं. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स मनदीप ट्रेडिंग कंपनी, जगतार सिंह को 08.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख मात्र) ऋण राशि की स्वीकृति 12.07.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी जगतार सिंह द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति वार्ड नं. 07 (क्षेत्रफल 24' गुणा 54'), सेक्टर नं. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.08.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 08.10.2018 को जारी किये गये हैं तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.10.2018 को भिजवाये गये, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद पर जगतार सिंह के स्वयं के हस्ताक्षर हैं एवं मनदीप सिंह की प्राप्ति रसीद पर किसी अन्य के हस्ताक्षर हैं।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी जगतार सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति वार्ड नं. 07 (क्षेत्रफल 24' गुणा 54'), सेक्टर नं. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबन्ध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 08.10.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 08.10.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.10.2018 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी जगतार सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं मनदीप ट्रेडिंग कंपनी - प्रो. मनदीप सिंह की प्राप्ति की रसीद पर किसी अन्य के हस्ताक्षर है परन्तु अप्रार्थी मनदीप ट्रेडिंग कम्पनी-प्रो. मनदीप सिंह ने ऋण वसूली प्राधिकरण, जयपुर (Debts Recovery Tribunal, Jaipur) में अपील पेश की थी, जिममें उसने नोटिस 13(2) प्राप्त होने का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी मनदीप ट्रेडिंग कंपनी - प्रो. मनदीप सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्यक् पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी जगतार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी जगतार सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति वार्ड नं. 07 (क्षेत्रफल 24' गुणा 54'), सेक्टर नं. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर